न्यायालय सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) बालोतरा

पीठासीन अधिकारी : श्री नरेश सोनी, आर.ए.एस

राजस्व वाद संख्या 156A / 2021

2021/478

वादी :–

धनाराम पुत्र जोगाराम

जाति सोनी निवासी कल्याणदेवी

तहसील पचपदरा जिला बाडमेर ।

बनाम

प्रतिवादीगण :–

1. केवलाराम पुत्र जोगाराम
2. ओमप्रकाश पुत्र जोगाराम — जाति सोनी नि. कल्याणदेवी
3. लाली पत्नि जोगाराम
4. तहसीलदार, पचपदरा

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 वास्ते घोषणा व दुरूस्ती

उपस्थिति :– 1. श्री स्वंय वादी।
2..श्री स्वयं प्रतिवादीगण

निर्णय

दिनांक :– 11.10.2021

वादी के द्वारा वादपत्र के सक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वादी की खातेदारी व कब्जा काष्त की भूमि खेत खसरा नं 249, 312, 376, 249, 415/312 कुल रकबा 176.12 बीघा, सरहद मौजा कल्याणदेवी तहसील पचपदरा मे स्थित है जिस पर वादी का कब्जा काष्त है। वादी के बचपन में लाड प्यार से बोले जाने वाला नाम धनाराम होने से राजस्व रेकर्ड में धनाराम दर्ज किया गया, जबकि वादी का अन्य सभी दस्तावेजात भारत सरकार द्वारा जारी आधार कार्ड, जन आधार कार्ड, मतदाता परिचय पत्र, राषन कार्ड में वादी का नाम धनाराम दर्ज है। वादी को किसान कार्ड बनाने, किसान अनुदान लेने एवं सरकारी योजना का फायदा प्राप्त करने में कई कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है। वादी राजस्व रेकर्ड में अंकित गलत नाम इन्द्राज धनाराम के स्थान पर धनाराम सही नाम घोषित करवाने का निवेदन किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Naresh Soni
Date: 2022.05.14 18:44:29 IST
Reason: SelfAttested

प्रतिवादीगण संख्या 1 राजस्थान राज्य की तरफ से ईकबाली जबाबदावा पेष कर वादी के वाद पत्र के समस्त तथ्यों को सही होना स्वीकार किया गया एवं वादी का बचपन नाम ......धमाराम...... के स्थान पर ......धनाराम...... दुरूस्ती की जाती है, तो उन्हे कोई आपत्ति व उज्र एतराज नहीं है।

वाद पत्र में अंकित तथ्यों की जांच ......नायब तहसीलदार पचपदरा...... तहसील पचपदरा से करवाई गई। राजस्थान राज्य की ओर से जवाब प्रस्तुत किया गया जिसमें नाम दुरूस्ती करने की सहमति प्रकट की गई है।

हमनें पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया गया बाद अवलोकन पाया गया कि खेत खसरा नं 249, 312, 376/249, 415/312 ......रकबा ......176.12...... बीघा, सरहद मौजा ......कलापड़ी...... तहसील पचपदरा वादी का नाम बचपन में लाड–प्यार का नाम ......धमाराम...... दर्ज किया गया वादी द्वारा साक्षी में प्रस्तुत दस्तावेजात में अर्थात अन्य सरकारी व अन्य अर्द्वसरकारी दस्तावेजों सरंपचं ग्राम पंचायत रामसीन एवं तहसीलदार ......पचपदरा...... की जांच रिपोर्ट के अवलोकन स्पष्ट साबित है कि वादी के बचपन का नाम ......धमाराम...... दर्ज किया गया है वादी का सही नाम ......धनाराम...... है, ऐसी स्थिति में वादी के वाद को स्वीकार करने में कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होती है ।

उपरोक्त विवेचन के आधार वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर तहसीलदार पचपदरा की मजमें आम मे की मौका रिपोर्ट के आधार पर खेत खसरा नं ......249, 312, 376/249, 415/312...... रकबा ......176.12...... बीघा, सरहद मौजा ......कलापड़ी......

......

वादग्रस्त आराजी में वादी का गलत नाम ......धमाराम...... पुत्र ......जोराराम...... के स्थान पर ......धनाराम...... पुत्र ......जोराराम...... खातेदार घोषित किया जाता है। तहसीलदार पचपदरा को आदेषित किया जाता है कि वे तदनुसार राजस्व रेकर्ड में अमलदरामद करना सुनिष्चित करें।

निर्णय आज दिनांक ......11.10.2021...... को कोर्ट केम्प कोर्ट......डूडवा...... में मजमे आम में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Naresh Soni
Date: 2022.05.14 18:44:29 IST
Reason: SelfAttested

डिकरी ब मुकदमे इब्तदाई
(आर्डर 20, रूल 6–7, जाब्ता दीवानी)
(Cill Procedure Code.Appendeix "d" 1)

न्यायालय सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) बालोतरा

केम्प कोर्ट......पु.प.द.रा.....

पीठासीन अधिकारी – श्री नरेश सोनी , आर.ए.एस.

वादीगण	बनाम	प्रतिवादीगण
धनाराम पुत्र जोगाराम जाति सोनी नि० कपारेडी तहसील पचपदरा जिला बाडमेर		अचलाराम पुत्र किशनाराम ओमप्रकाश पुत्र जोगाराम जाति सोनी नि. कपारेडी राजस्थान सरकार जरिये भू –धारक तहसीलदार पचपदरा

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

राजस्व वाद संख्या :– /2021

यह मुकदमा आज वास्ते फिसाल कतई रुबरू न्यायालय बहाजरी श्री ....स्वयं.... वादी स्वंय मिनजानिब श्री ....स्वयं.... पेरोकार सरकार प्रतिवादीगण मुद्दायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिकरी जारी की जाती है कि **वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर** तहसीलदार पचपदरा की **कागजात आम मे की मौका रिपोर्ट के आधार पर** खेत खसरा नं 249, 312, 37... 244 ... रकबा ....176.12.... बीघा, सरहद मौजा ....कपारेडी.... ....

Signature Not Verified

Digitally signed by Naresh Soni
Date: 2022.05.14 18:44:29 IST
Reason: SelfAttested

वादग्रस्त ... नाम ....धनाराम.... पुत्र ....जोगाराम.... के स्थान पर .... जोगाराम खातेदार घोषित किया जाता है।

तहसीलदार पचपदरा को आदेशित किया जाता है कि वे तदनुसार राजस्व रेकर्ड में अमलदरामद करना सुनिश्चित करे। बीज मुबलिग बाबत खर्चा इस मुकदमें के मय सूद व शरह फीसदी सालाना आज की तारिख से तारीख वसूलयाबी तक को अदा करे।

बसख्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख .... को जारी की गई।

मुद्दई	रूपया	पै.	मुद्दयलाह	रूपया	पै.
स्टाम्प अरजीदावा			स्टाम्प अरजीदावा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अरजी		
स्टाम्प वजह सबूत			महताना वकील		
खर्चा गवाहान			खर्चा गवाहान		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
बबत इजराय			बाबत इजराय		
हुम्मनामा			हुम्मनामा		
मुतफरिक			मुतफरिक		
मीजान			मीजान		